न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **290/2025**

दारोगा पाण्डेय

बनाम

बिहार सरकार

30.06.2026

अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ। आवेदक एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद आवेदकगण दारोगा पाण्डेय, भरत पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत किया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान के द्वारा एम0वाद0 संख्या 1045/2025 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2025 को अपास्त करने करी कृपा की जाए। आगे इनका कथन है कि विपक्षी संख्या 2 विकास कुमार पाण्डेय ने विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी महाराजगंज के यहॉ द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत एक आवेदन दाखिल किया है जिसपर स्थानीय पुलिस थाना से प्रतिवेदन तलब किया गया। लकड़ी नबीगंज थाना से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज ने द0प्र0स0 की धारा 144 (बी0एन0एस0एस0 की धारा 163) के तहत कार्यवाही आरंभ किया। यह कार्यवाही विवादित भूमि खाता संख्या 31, प्लॉट संख्या 1107, रकबा 4 कट्ठा 19.5 धुर, खाता संख्या 66, प्लॉट नंबर 1110, रकबा 5 कट्ठा 13 धुर, खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 1189, रकबा 7 कट्ठा 5 धुर, खाता संख्या 34, प्लॉट नंबर 1120, रकबा 10 कट्ठा 19 धुर, खाता संख्या 38, प्लॉट संख्या 1123 रकबा 1 कट्ठा, 1.5 धुर के निस्बत आरंभ की गई है जो ग्राम–गोपालपुर कोठी, थाना लकड़ी नबीगंज, जिला सिवान में अवस्थित है। विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज ने बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 के तहत उभय पक्षों के विरूद्ध नोटिश जारी किया तथा दोनों पक्ष उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा भी समर्पित किए। सुनवाई उपरान्त विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज ने बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 की कार्यवाही को बी0एन0एस0एस0 की धारा 164 की कार्यवाही में परिणत कर दिया तथा उभय पक्षों के विरूद्ध बी0एन0एस0एस0 की धारा 164 के तहत नोटिश जारी किया। इनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा पुनरीक्षणकर्तागण का है। विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज के न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्तागण ने अपना दस्तावेज वहॉ प्रस्तुत किया था लेकिन इसे देखा नहीं गया और बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 की कार्यावाही को बी0एन0एस0एस0 की धार 164 की

लगातार
30.06.2026

कार्यवाही में परिणत कर दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता पक्ष का यह भी कथन है कि उभय पक्ष के बीच विवादित भूमि के बाबत अवर न्यायाधीश, महाराजगंज अनुमण्डलीय न्यायालय में हकीयत वाद संख्या 4014/2025 लंबित है, अतएव विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज का आदेश पोषणीय नहीं है। अतः प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विपक्षी संख्या 2 विकास कुमार पाण्डेय के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए है और ये भी स्वीकार करते हैं कि उभय पक्ष के बीच इस मामले में हकीयत वाद अनुमण्डलिय व्यवहार न्यायालय में लंबित है।

पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की ओर से सूची साबूत के साथ सिविल जज जूनियर डिवीजन, महाराजगंज के न्यायालय में लंबित हकीयत वाद संख्या 4014/2025 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें वादी दारोगा पाण्डेय व अन्य 01 हैं तथा प्रतिवादी के रूप में विकास पाण्डेय व अन्य हैं।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज के न्यायालय से एम0वाद संख्या 1045/2025 का मूल अभिलेख प्राप्त है। उक्त अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 एवं 164 की कार्यवाही में जिस जमीन का विवरण अंकित है, उसी जमीन के मुख्य अंश के बावत् अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज में उभय पक्ष के बीच हकीयत वाद संख्या 4014/2025 भी लंबित है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी के बीच विवादित भूमि को लेकर अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज में हकीयत वाद लंबित है तथा विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज ने उसी विवादित जमीन के निस्बत बी0एन0एस0एस0 की धारा 164 की कार्यवाही को आरंभ किया है, जो विधिनुकूल नहीं है। विपक्षी को अपना पक्ष अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज में प्रस्तुत करना चाहिए।

अतएव प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद को **स्वीकृत** किया जाता है तथा विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज के द्वारा एम0वाद0 संख्या 1045/2025 में पारित **आदेश दिनांक 30.08.2025 को अपास्त किया जाता है।**

लगातार

30.06.2026

कार्यालय आदेश की प्रति एवं एल0सी0आर0 संबंधित न्यायालय में भेजे तथा इस पुनरीक्षण वाद के अभिलेख को अभिलेखागार, सिवान में जमा करें।

लेखापित
sd/-
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
30-06-2026

Date of Judgement/order	30-06-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	N/A
Date of Uploading	12 -08-2026
Uploaded by	Ajit kumar